

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर

161 / 2021

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये

तहसीलदार पचपदरा

1. सुखाराम वगैरा खाता संख्या 131 जाति मेगवाल सा0 कंवरली
2. जगाराम वगैरा खाता संख्या 39 जाति मेगवाल निवासी कंवरली
3. मांगाराम वगैरा खाता संख्या 93 कौम कुम्हार निवासी कंवरली
4. धागड़िया वल्द भीकिया जाति मेगवाल सा0 कंवरली
5. मोरोदेवी पत्नि नेना कौम भील वगैरा खाता संख्या 98 सा0 कंवरली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू-अभिलेख नियम 1970

आदेश

दिनांक 26.11.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम कंवरली में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो पाटोदी गोलिया से राप्रावि कुम्हारों की ढाणी से जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम कंवरली के खसरा नम्बर 194 रकबा 64-13 बीघा में से 02-03 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 91-08 बीघा में से 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 58-03 बीघा में से 0-15 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 103-08 बीघा में से 01-03 बीघा, खसरा नम्बर 249/150 रकबा 28-14 बीघा में से 01-02 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल में किया गया है, उक्त कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट कम्प कंवरली में तहसीलदार पचपदरा ने मजमें आम में जांच कर जाहिर किया गया कि ग्राम को जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाता में खातेदार के नाम ही दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की आमजन को असुविधा नहीं होगी,

Dan




बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक यह रास्ता होगा। चूंकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेगी।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की वहास सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत में होने की ताईद की है व कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम में रास्ता कटान हेतु के ग्रामों ढाणियों व मजरो के अवरुद्ध रास्ते के लिए जोड़ने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश जारी करना न्यायोचित है।

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर ग्राम में पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरो के अवरुद्ध रास्ते को जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे है। ग्राम कंवरली के खसरा नम्बर 194 रकबा 64-13 बीघा में से 02-03 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 91-08 बीघा में से 01-04 बीघा, खसरा नम्बर 180 रकबा 58-03 बीघा में से 0-15 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 103-08 बीघा में से 01-03 बीघा, खसरा नम्बर 249/150 रकबा 28-14 बीघा में से 01-02 बीघा, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते हैं, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को केम्प कोर्ट कंवरली सूरजबेरा में मजमें आम में सुनाया गया।

(तरमीम) 
भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा